Result Mitra Daily Magazine

‘धरती आबा’ बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि

चर्चा में क्यों?

- सबसे महान आदिवासी लोक नायकों में से एक बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 9 जून को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रारम्भिक जीवन और परिचय

- 15 नवंबर, 1875 को खूंटी जिले के एक गांव उलिहातु में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था।
- वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता के अलावा एक धार्मिक सुधारक भी थे।
- बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति से संबंधित थे, जिनका निवास आधुनिक झारखंड के छोटानागपुर के पठार पर था।
- वर्ष 2021 में, बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के दिन को भारत सरकार ने 'जनजातीय गौरव दिवस' या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया।
- इस दिन मनाया जाने वाला झारखंड स्थापना दिवस झारखंड राज्य की स्थापना का स्मरण करता है।
- गौरतलब है कि 15 नवंबर, 2000 को झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य बना, जब छोटानागपुर क्षेत्र को बिहार के दक्षिणी हिस्से से विभाजित किया गया था।
- बिरसा आदिवासी परंपराओं, रीति-रिवाजों और लोककथाओं के बीच पले-बढ़े और अपने समुदाय के सांस्कृतिक लोकाचार से गहराई से जुड़े थे।
- बिरसा मुंडा ने अपना अधिकांश बचपन अपने माता-पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव घूमते हुए बिताया।
- उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा साल्गा में अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में पूरी की।
- उनकी सिफारिश पर बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला ले लिया।
- ब्रिटिश शासन के प्रभाव के साथ-साथ क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण कई आदिवासी लोग दिकुओं (बाहरी लोग) की उपस्थिति के प्रति सशंकित हो गए।
- इस अहसास के बाद, उन्होंने विद्यालय त्याग दिया।

तत्कालीन परिस्थितियां पर एक नजर

- आज के झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में रहने वाले खानाबदोश शिकारी से किसान बनी मुंडा जनजाति को कई प्रतिकूल नीतियों और घटनाओं का खामियाजा भुगतना पड़ा।
- औपनिवेशिक शासन से पहले, यहाँ भूमि स्वामित्व की प्रचलित प्रणाली को "खूंटकट्टी" के नाम से जाना जाता था।
- यह प्रथागत अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें जमींदारों की कोई भागीदारी नहीं थी।

Result Mitra

- हालांकि, स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (1793) के लागू होने से एक परिवर्तन हुआ और उपनिवेशवाद को ग्रामीण भारत में अपनी पैठ बनाने में मदद मिली।
- अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि राजस्व संग्रह के लिए ज़मींदारी प्रणाली को मंजूरी देने के लिए कानून का सहारा लिया।
- ज़मींदारी प्रणाली ने दो वर्गों का निर्माण किया - भूमि के मालिक ज़मींदारों का जिन्हें स्थानीय निवासियों द्वारा बाहरी या "दिकू" के रूप में देखा जाता था, और "रैयत" या भूमि के किरायेदार।
- इस अधिनियम ने दिकुओं को एक निश्चित क्षेत्र निर्दिष्ट करने वाले दस्तावेज़ के माध्यम से स्वामित्व अधिकारों का दावा करने की अनुमति दी।
- इसने मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया और उन्हें उस भूमि तक पहुँच से वंचित कर दिया जिस पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे।
- समुदाय के लिए समस्या को और भी जटिल बनाने वाली अन्य नीतियों ने किया, जिनमें जबरन श्रम की "बेगार" प्रणाली के माध्यम से जनजातीय लोगों का शोषण, ऋण के लिए साहूकारों पर जबरन निर्भरता और पारंपरिक कबीला परिषदों के स्थान पर न्यायालयों की स्थापना शामिल है।
- फलस्वरूप वर्ष 1896-97 और 1899-1900 में पड़े अकाल के कारण इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल गयी।

एक नेता के रूप में उदय

- विद्यालय त्यागने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने 'बिरसा धर्म' नाम से एक नया धर्म स्थापित किया, जिसने मुंडा समुदाय से कई अनुयायियों को आकर्षित किया और उपनिवेशवादियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया।
- उनके अनुयायियों ने खुले तौर पर घोषणा की कि वे 'बिरसाइत' के रूप में पहचाने जाते हैं और अंग्रेजों को अपना विरोधी मानते हैं।
- मुंडा ने 1886 से 1890 के बीच अपना अधिकांश समय सरदारी आंदोलन के केंद्र के करीब चाईबासा में बिताया।

- ब्रिटिश शासन के खिलाफ़, यह आंदोलन अपने स्वभाव में शांतिपूर्ण था, जिसका नेतृत्व ओरांव और मुंडा जनजातियाँ कर रही थीं।
- इससे उन्हें मिशनरी विरोधी और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा मिली।
- 1890 में जब उन्होंने चाईबासा छोड़ा, तब तक बिरसा आदिवासी समुदायों पर ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ आंदोलन में मजबूती से शामिल हो चुके थे।
- मुंडा जल्द ही एक आदिवासी नेता के रूप में उभरे जिन्होंने इन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए लोगों को एक साथ लाया।
- 'बिरसाइत' के धर्म का नेतृत्व करते हुए, वे भगवान के रूप में देखे जाने लगे तथा उन्हें उनके अनुयायी 'भगवान' और 'धरती का अब्बा' (पृथ्वी का पिता) के रूप में संदर्भित करने लगे।
- जैसे-जैसे अनुयायी नए धर्म की ओर बढ़ रहे थे, बिरसा ने अंधविश्वास के खिलाफ वकालत की और अपने लोगों से भीख न मांगने और पशु बलि का त्याग करने का आग्रह किया, और उनसे केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा।
- इस प्रक्रिया में, मुंडा और उरांव समुदायों के सदस्य बिरसाइत संप्रदाय में शामिल हो गए, जिससे ब्रिटिश धर्मांतरण गतिविधियों को चुनौती मिली।
- बिरसा मुंडा ने धार्मिक क्षेत्र के माध्यम से आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ खड़े हुए।
- उन्होंने धार्मिक प्रथाओं में सुधार करने, कई अंधविश्वासी अनुष्ठानों को हतोत्साहित करने, नए सिद्धांत और प्रार्थनाएँ लाने और आदिवासी गौरव को बहाल करने के लिए काम किया।

उलगुलान / मुंडा विद्रोह

- उलगुलान' या 'महान उथल-पुथल आंदोलन' के रूप में भी जाना जाने वाला यह विद्रोह, भूमि अतिक्रमण और जबरन धर्मांतरण प्रथाओं के जवाब के रूप में उभरा था।
- नतीजतन, बिरसा ने 1894 से उपनिवेशवादियों और बाहरी लोगों (दिकू) के खिलाफ मुंडा आदिवासियों को संगठित करना शुरू कर दिया और 1895 में एक स्वतंत्र 'मुंडा राज' की स्थापना की।
- उन्होंने स्वतंत्र मुंडा राज के प्रतीक के रूप में एक सफेद झंडा भी अपनाया।
- इस समूह का हिस्सा रहे विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का प्रयोग किया और चर्चों, पुलिस स्टेशनों और दिकुस और ब्रिटिश सत्ता के अन्य प्रतीकों पर सशस्त्र हमलों की एक श्रृंखला शुरू की।
- बिरसा अपने सांगठनिक और वक्तृत्व कौशल के कारण छोटा नागपुर, बंगाल और ओडिशा के जंगलों के विभिन्न आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में कामयाब रहे।
- बिरसा ने आदिवासियों को बिरसा राज का पालन करने और औपनिवेशिक कानूनों और लगान भुगतान का पालन न करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- हालांकि, अंग्रेज़ अपनी सेना की बेहतर ताकत के ज़रिए जल्द ही इस आंदोलन को रोकने में सफल रहे। 3 मार्च, 1900 को, मुंडा को ब्रिटिश पुलिस ने उस समय गिरफ़्तार कर लिया, जब वे चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ सो रहे थे।
- ऐसा माना जाता है कि 9 जून 1900 को 25 वर्ष की अल्पायु में हैजा के कारण रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी।
- यद्यपि उनका जीवन छोटा रहा और उनके निधन के बाद शीघ्र ही आंदोलन समाप्त हो गया।
- लेकिन बिरसा मुंडा द्वारा आदिवासी समुदाय को उनके भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित करना उल्लेखनीय था, जो इस तरह के शुरुआती प्रयासों में से एक था।
- इस आंदोलन ने सरकार को बेगार प्रथा को खत्म करने में भी मदद की और टेनेंसी एक्ट (1903) को जन्म दिया, जिसने खूंटाखट्टी प्रथा को मान्यता दी।

Result Mitra

- छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (1908) ने बाद में आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासी लोगों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया।

छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम

- विद्रोह की प्रतिक्रिया में, अंग्रेजों ने 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम लागू किया।
- सीएनटी अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया और "मुंडारी खुंटकट्टीदार" नामक एक अलग काश्तकारी श्रेणी की स्थापना की, जिन्हें मुंडाओं के बीच भूमि के मूल निवासी कहा जाता है।
- इसने भूमि अभिलेखों की स्थापना और रखरखाव को भी अनिवार्य बना दिया।
- सीएनटी अधिनियम ने प्रथागत सामुदायिक अधिकारों, जैसे कि भूमि, जल और वन (जल, जंगल और ज़मीन) से संबंधित अधिकारों के पंजीकरण के लिए भी प्रावधान शामिल किए।
- इन अधिकारों ने आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा की और इसमें जंगल से फसल उगाने, मवेशियों को चराने और चावल की खेती (कोरकर) के लिए "अपशिष्ट" को पुनः प्राप्त करने की क्षमता शामिल थी।
- निष्कर्ष
- समाज सुधारक और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अमिट विरासत छोड़ी जो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ स्वदेशी लोगों की दृढ़ता और प्रतिरोध को उजागर करती है।
- सांस्कृतिक पुनरुत्थान और सामाजिक-धार्मिक परिवर्तन लाने के उनके प्रयास प्रेरणादायी हैं और भारत के मुक्ति संग्राम और आदिवासी विरासत के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं।

Result Mitra